

अंत्योदय-सरल



हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

श्रमिक की सेवा के दौरान या अन्य कारण से अंपगता होने पर वित्तीय सहायता

पात्रता :

- श्रमिक का अधिकतम वेतन सीमा 25,000 रू० तक निर्धारित की गई है।
- इस योजना के तहत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं है।
- * अंपगता प्रमाण-पत्र की जारी तिथि से एक वर्ष तक आवेदन-पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

- ❖ 50 प्रतिशत अंपगता तक श्रमिक को 1 लाख रू० तक की वित्तीय सहायता।
- ❖ 50 प्रतिशत से अधिक की अंपगता होने पर 1 लाख पचास हजार रू० तक की वित्तीय सहायता।

आवश्यक दस्तावेज :

- नियोक्ता प्रमाण–पत्र
- > कर्मचारी की मजदूरी पर्ची (पूर्व मास)
- अंपगता का प्रमाण–पत्र
- शपथ-पत्र / वचनबद्वता

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभाार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 10 ∕ –	रू0 10 ∕ —

सेवा का अधिकार समय सीमाः 90 दिन

हेल्पलाइन: 0172-3968400

ई-मेल: saral.haryana@gov.in